श्री राजनाथ सिंह द्वारा संविधान दिवस पर

लोकसभा में चर्चा के प्रमुख बिन्दु

- सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से भारत माता के सपूत और **'भारतीय संविधान'** के रचियता माने जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्मरण करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन/नमन करता हूं। इस वर्ष पूरे देश में डॉ. अम्बेडकर का 125वां जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यदि **'लोकतंत्र के मंदिर'** यानि **'भारत की संसद'** में यदि संविधान के प्रति इस देश की प्रतिबद्धता प्रकट की जा रही तो मैं समझता हूं कि **'अम्बेडकरजी'** के जयंती वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

- जब भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था तो 565 रियासतों में बंटा हुआ था। देश–विदेश के बहुत सारे लोगों को इस बात का संशय था कि जिस देश में इतनी सारी **'Fault Lines'** दिखाई दे रही है वह किसी भी सामाजिक या राजनीतिक घटना के **'भूकम्प'** से धराशाई हो सकता है। मैं आज के दिन स्मरण करना चाहूंगा भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिन्होंने टुकड़ों में बंटे भारत को **'एक भारत'** का स्वरूप दिया।

- इस भारत को जोड़े रखने के लिए एक **Binding substance/Material** की जरूरत थी जो पूरे देश की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी प्रकट करे। यह भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो इस देश के संविधान ने निभाई है जिसे 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत/मशक्कत के बाद तैयार किया गया।

- यही कारण है कि जहां मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश का **'Unifying Force'** मानता हूं वही डॉ. अम्बेडकर ने इस देश में **'Binding Force'** की भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं एक और महापुरूष को भी स्मरण करता हूं जिनके एक दूरदर्शी निर्णय ने इस देश में लोकतंत्र की न केवल स्वीकार्यता बढ़ाई बल्कि उनके उस निर्णय से इस देश में लोकतंत्र की जड़े भी मजबूत हुई हैं।

- उस महापुरूष का नाम है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयोग से इस वर्ष भारत में उनका भी 125वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं पंडित नेहरू के प्रति भी अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता हूं।

- भारतीय संविधान की रचना के साथ–साथ डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिक कल्याण, कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए भी काम किया। इस देश में श्रमिक सुविधाओं के लिए जो कानूनी प्रावधान डॉ. अंबेडकर ने दिए है उससे इस देश में श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण की भावना का विकास है।

❖ कृषि के विकास के लिए उन्होंने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर बल दिया और इस काम के लिए उन्होंने नहरें और बांध बनाने का एक खाका तैयार किया जिस पर नेहरू जी ने आगे अमल किया। डॉ. अम्बेडकर ने इस दृष्टि से और देश में जल यातायात को बढ़ाने के लिए **'Central Waterways Irrigation and Navigation Commission'** स्थापित करने की योजना बनाई। **'दामोदर वैली प्रोजेक्ट' 'हीराकुण्ड प्रोजेक्ट' 'सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट'** जैसी कई जल परियोजनाएं है जो डॉ. अम्बेडकर के दिमाग की उपज थीं।

❖ सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉ. अम्बेडकर ने इस देश के **'संवैधानिक ढांचे'** को ही राह दिखाने का काम नहीं किया है बलिक **'आर्थिक ढांचे'** का आधार भी उन्होंने ही तैयार किया है। इस देश में **Reserve Bank of India** की स्थापना करते समय **Hilton Young Commission** को दिए गए डॉ. अम्बेडकर के सुझावों को आधार बनाया गया। इतना ही नहीं डॉ. अम्बेडकर **RBI** के साथ–साथ **Finance Commission of India** के निर्माण के भी **'Architect'** थे।

❖ भारत में सामाजिक आंदोलनों का लम्बा और समृद्ध इतिहास है मगर जिनके विचारों का सर्वाधिक प्रभाव भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ा है वे है डॉ. भीमराव अम्बेडकर। सामाजिक–न्याय को आधार बना कर उन्होंने न केवल **'अस्पृश्यता'** के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि सबको बराबरी देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान किया।

– आज सभी राजनीतिक दल इस बात पर एकमत है कि आरक्षण इस देश की **'Social-Political Necessity'** है। यह बात अलग है कि चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक दल **'आरक्षण पर मत भिन्नता'** का भ्रम पैदा करते हैं। उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते है जबकि असल में आरक्षण **'चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था है'**।

– इसलिए आरक्षण पर राजनीति बंद होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण व्यवस्था दी थी वह बहुत सोझ समझ कर दी थी। उसका **Dilution** नहीं किया जा सकता।

❖ डॉ. अम्बेडकर ने भी अनेक महापुरूषों की भांति एक **'आदर्श समाज'** की कल्पना की है। अपने एक लेख में वे लिखते हैं

'My ideal would be a society based on Liberty, Equality and Fraternity'

'French Revolution' से लिए गए तीन शब्द **'Liberty, Equality and Fraternity'** डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन दर्शन को इतना प्रभावित किया है कि भारतीय संविधान के **Preamble** यानि प्रस्तावना में ही उसे शामिल किया गया है।

– भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा माना जाता है और यह उन **Fundamental Values** और जीवन दर्शन को समाहित करता है जिसके आधार पर हमारे संवैधानिक ढांचे को खड़ा किया गया है।

– हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी संविधान की आत्मा यानि **Preamble** कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उस पर ही पूरी संवैधानिक व्यवस्था टिकी हुई है।

– इसके बावजूद 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसकी आत्मा से छेड़छाड़ की गई।

❖ भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से **Preamble** में **Socialist** और **Secular** शब्द डाले गए हैं। यदि **Secular** शब्द डालने की जरूरत होती तो डॉ. अम्बेडकर ने उसे अवश्य रखा होता। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि भारतीय समाज में अनेक जातियां भले हो मगर पंथ निरपेक्षता तो उसके मूल स्वभाव में है।

❖ संविधान की आत्मा (Preamble) जो कुछ जोड़ा गया वह तो भारत की आत्मा का अटूट अंग था। Preamble का पहला शब्द Sovereign अर्थात सम्प्रभु था जिसका अर्थ होता है अपना स्वत्रंत्र अस्तीतव रखने में सक्षम। हम गर्व से कह सकते है कि भारत विश्व का एक मात्र देश है जो इतिहास के अज्ञातकाल से आज तक तमाम झंझावातो को झेलकर अपने मूलरुप में विध्यमान है जबकि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताऐ इतिहास का पत्र हो गयी, इकबाल ने कहा है

''यूनान मिश्र रोमा, सब मिट गए जंहा से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी''।

❖ अगला शब्द Democratic अर्थात लोकतंत्र है। लोकभावनाओं के अनुसार राजधर्म का पालन करने का उद्वाहरण जो भगवान राम ने दिया उससे बडा Democratic उद्वाहरण विश्व में नहीं मिल सकता।

❖ अगला शब्द है Republic अर्थात गणतंत्र। वैदो में सभा, समिति, विदति और गण से लेकर विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में बारहवीं शताब्दी में संत बासवनना द्वारा स्थापित ''अनुभवमण्डप'', इंगलैण्ड के 1215 में आये मेगनाकाटा कंही अधिक पुराना और प्राचीन हमारा गणतंत्र रहा है।

❖ बाद में जोड़े गए शब्दो में Socialist अर्थात समाजवादी । यद्यपि यह नया शब्द है पर मूल अवधारणा समाज में आर्थिक समरता की है इसलिए भारत में वैदिक काल से ''त्यक्तेन भुंजीथा'' अर्थात त्याग पूर्वक भोग कि अवधारणा से शुरु होकर हमेशा समाज में त्याग करने वाले महात्माओं की राजाओं एवं सम्राटों से अधिक मान्यता रही। आजादी के समय भी गांधी की कंही अधिक मान्यता भारत की इसी चिरन्तम समाजवादी प्रवृति का प्रतीक थी।

❖ अगला शब्द था Secular अर्थात पंथनिरपेक्ष। यह भारत की राजनिति का सर्वाधिक दुरउपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसके लिए हम बार–बार धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते है जो सर्वथा गलत है। संविधान के औपचारिक अनुवाद में भी Secular का अर्थ पंथनिपेक्ष लिखा है। पंथनिरेपक्षता की परम्परा भारत में प्राचीनकाल से है इसलिए हमारे यंहा वैदिक काल से ही एक नहीं अनेक मत है, एक नहीं अनेक देवता है, एक नहीं अनेक पुजा पद्वितियां है और एक नहीं अनेक धार्मिक विचार रहे जो भले ही एक–दूसरे के विरोधी हो पर उनका सम्मान रहा। इसी कारण से भारत विश्व का एकमात्र देश है जंहा सारे प्रमुख सम्प्रदाय है। जो दुनिया में कंही भी नहीं बचे जैसे

पारसी वो हमारे यंहा शुखपूर्वक रह रहे है। जिनका दुनिया में हर जगह दमन हुआ जैसे यहूदी वो हमारे यंहा पूरे सम्मान के साथ रहे। विश्व का प्राचीनतम चर्च यूरोप में नहीं केरल में है। इस्लाम में 72 फिरके है और भारत एकमव देश है जंहा ये सभी 72 फिरके है जो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। Secularism का विश्व में इससे बडा उद्वाहरण नहीं हो सकता पर उसका कारण भारत भारतीय संस्कृति का वह धर्म है जो गरीब होकर भी अटल जी के शब्दों में कहता हैः

'' जग के ठुकराये लोगो को, लो मेरे घर का खुला द्वार
मै अपना सबकुछ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार''।

❖ अध्यक्ष महोदया बाबा साहब ने इस Secular शब्द नहीं किया था, इस शब्द को जब धर्मनिरपेक्षता कहते है तो हम भारत की मूल प्रवृति पर आघात करते है। अध्यक्ष महोदया आपके आसन के पीछे लिखा है धर्मचक्र प्रर्वतनाय, तो क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो सकते है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है वह सारनाथ से निकले धम्मचक्र का प्रतीक है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। भारत तो धर्म–प्राण देश है धर्मनिरपेक्ष होते ही इसका अस्तीतव समाप्त हो जाऐगा परन्तु भारत का धर्म पंथनिरपेक्ष है।

❖ बाबा साहेब अम्बेडकर जिस संविधान की रचना की है वह जहां **'Strong'** है वहीं **'Flexible'** भी है और साथ ही साथ **'Workable'** भी है। बाबा साहेब मानते थे कि संविधान केवल लिखे हुए शब्द नहीं है बल्कि ये ऐसे प्रभावी उपकरण हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके।

❖ भारतीय संविधान की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने हर भारतीय को **'मान, सम्मान और स्वाभिमान'** के साथ जीने का अधिकार दिया है। विशेष रूप से शोषित, वंचित और दबे कुचले पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान ने जो अधिकार प्रदान किए है उन्हें हासिल करने में अन्य देशों में ने जाने कितना खून बहा है और कितने आंदोलन हुए हैं।

– **'Indian Constitution'** का पारित होना किसी **'Bloodless Revolution'** से कम नहीं है।

❖ भारतीय संविधान के **Article 14, 15, 17** हर भारतीय को समान अधिकार देते हैं, भेदभाव से सुरक्षित करते हैं। विशेष रूप से **Article 17** का यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसने **'Untouchability'** को खण्डित करके हर मनुष्य को **Dignity** प्रदान की।

❖ हर भारतीय को **Dignified Life** देने के उद्देश्य से ही डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में **'Fundamental Rights'** की व्यवस्था दी। संविधान सभा ने **Article 14, 15, 16, 17, 18** के माध्यम से जहां **Right to Equality** (समानता का अधिकार) दिया वहीं **Article 19, 20, 21, 22 Right to Freedom** (स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। **Article 23, 24 Right Exploitation** (शोषण के अधिकार) और **Article 25, 26, 27, 28** के माध्यम से **Right to Freedom of Religion** दिया गया है।

– **Fundamental Rights** की इतनी विशद व्याख्या शायद ही विश्व के किसी अन्य संविधान में हुई होगी।

– हमारे **'Fundamental Rights** को **Safe guard** करने के लिए **Article 32** में **Right to Constitutional Remedies** की भी व्यवस्था है।

❖ यदि **'Precamble'**/प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है तो **'Fundamental Rights'** यानि **'मौलिक अधिकार'** संविधान के **Lungs** है। यदि **'Fundamental Rights'** पर आंच आती है तो संवैधानिक व्यवस्था का दम घुटता महसूस होता है।

❖ भारतीय संविधान की एक और खूबसूरती है कि संविधान का स्वरूप **Unitary**/एकात्मक होने के बावजूद उसका चरित्र/**Character** संघीय/**Federal** है। भारतीय संविधान का **Federal Character** अनूठा है और केन्द्र की सत्ता राज्यों के बाजुओं को साथ लेकर ही चलती है। मौजूदा केन्द्र सरकार ने देश में **Federal** व्यवस्था का सम्मान करते हुए न केवल राज्यों को राजस्व में मिलने वाला हिस्सा 32 फीसदी से 42 फीसदी किया।

❖ अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक एकता लोकतंत्र के भारत में पुष्पित और पल्लवित होने के लिए बेहद जरूरी है। इस दृष्टि से मैं **Article 29-30** का यहां जिक्र करना चाहूंगा जो हर भारतीय नागरिक को विशेषरूप से अल्पसंख्यकों को अपनी स्वेच्छानुसार सामाजिक और शैक्षिक अधिकार के अन्तर्गत संस्थाएं खड़ी करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए ही बाबा साहेब ने **Article 29-30** की व्यवस्था दी मगर इसके लिए उन्होंने **'Secularism'** का नारा नहीं लगाया।

❖ इस देश में **Education System** आज भी वंचितों और पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा रास्ता उपलब्ध कराता है। बाबा साहेब ने इसलिए ही शिक्षा के विकास का रास्ता चुना।

❖ बाबा साहेब अम्बेडकर **Women Empowerment** के भी बहुत बड़े पक्षधर थे। वे चाहते थे कि महिलाएं देश और समाज के विकास की भागीदार बनें। उन्होंने पुरूष और महिलाओं को समानता देने के लिए जहां समान कानूनी अधिकार प्रदान किए वही **Property Rights, Rights to adoption** और सम्पत्ति में अधिकार देकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी।

❖ जहां बाबा साहेब ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी वहां प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में इस सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस सुरक्षा बलों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी पद आरक्षित कर महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा को एक नया आयाम दिया है।

❖ इसी तरह केन्द्र सरकार ने बेटियों की संख्या बढ़ाने और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए **'बेटी बचाओं और बेटी बढ़ाओ'** के राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम को चलाया है। इस काम के लिए 100 ऐसे जिलों को चुना गया है जहां **Child Sex Ratio** सबसे कम है।

❖ मौजूदा केन्द्र सरकार डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि और दर्शन से प्रेरित होकर अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा अस्पृश्यता समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। यद्यपि संविधान के **Article 17** के माध्यम से **Untouchability** का **Abolition** करने की घोषणा 65–66 वर्ष पहले कर दी गई थी भारतीय समाज में कई रूपों में यह आज भी विद्यमान है।

– उदाहरण के लिए स्वच्छता का काम करना काफी लोगों के लिए हीन कार्य माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब **'स्वच्छ भारत अभियान'** के तहत पूरे देश का आह्वाहन किया तो वे केवल देश को साफ करने की बात नहीं कर रहे थे बल्कि गांधीजी और डॉ. अम्बेडकर के विचारों को एक साथ जोड़ कर आगे बढ़ रहे थे।

– प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लेकर देश की सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति ने झाड़ू लगाई। मैं **'स्वच्छ भारत अभियान'** को आजाद भारत का एक बड़ा सामाजिक आंदोलन मानता हूं क्योंकि इसने इस देश की सोच को बदलने का काम किया है।

❖ केन्द्र सरकार डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि से प्रेरित होकर कई ऐसी योजनाएं चला रही है। आखिर **'प्रधानमंत्री जन धन योजना'** किसके लिए है। लगभग बीस करोड़ बैंक खाते गरीब लोगों के खोले गए हैं। उन्हें इस देश के **Economic System** से जोड़ा गया हैं। आज देश के लगभग हर परिवार में बैंक खाता खुल चुका है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

❖ सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम प्रीमियम पर एक नहीं तीन–तीन बीमा योजनाएं/पेंशन योजना चल रही हैं। 1 – अटल पेंशन योजना 2 – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 3 – जीवन ज्योति योजना।

❖ इसी तरह साधारण और गरीब उद्यमियों को काम करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने का काम **'मुद्रा बैंक'** कर रहे हैं जो पचास हजार से लकर दस लाख तक तीन श्रेणियों में लोगों को काम करने हेतु कर्ज दे रहे हैं।

❖ पंडित दीनदयाल जी का यह जन्मशती वर्ष है और उनके नाम पर भी जो योजनाएं चलाई जा रही है वे भी डॉ. अम्बेडकर का काम कर रही है। उदाहरण के लिए दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना जो ग्रामीण इलाकों में सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के **Skill development** के लिए काम कर रही हैं। इनमें **SC/ST 50%** अल्पसंख्यक **15%** और महिलाओं के लिए **33** फीसदी **Coverage** रखी गई है।

- अम्बेडकर जी का दर्शन था **'समानता के आधार पर समाज की स्थापना'** जबकि इसी उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और **'सबका साथ, सबका विकास'** के प्रति प्रतिबद्ध है।

- जब प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार **'सबका साथ, सबका विकास'** की बात करते है तो वे अम्बेडकर जी के अधूरे सपनों को ही पूरा करने की बात करते हैं। वे बात करते हैं दीन दयाल जी के सपनों का भारत बनाने की और ऐसा भारत बनाने की जहां गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी **'मौके और मुक्कद्दर का मोहताज न रहे'**